झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–701 वर्ष 2017

अशोक नाथ तिवारी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2.. उपायुक्त, राँची
3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची
4. अंचलाधिकारी, मंदर, राँची .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अख्तर हुसैन

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री जे0एफ0 टोप्पो, एस0सी0–VII

05 / 22.02.2022 मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाता है।

वर्तमान रिट याचिका खाता संख्या 127, प्लॉट संख्या 213, मौजा–जाहेर, थाना–चंदर, जिला–राँची, कुल 20 एकड़ क्षेत्र से संबंधित भूमि के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीद जारी करने के लिए संबंधित प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उक्त भूमि का किराया स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ता के पिता–प्रधान नाथ तिवारी के पक्ष में राजस्व अधिकारियों द्वारा

2013–14 तक किराए की रसीदें जारी की गई थीं। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ किराया स्वीकार करने और अपने पक्ष में किराया रसीद जारी करने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, उसका जवाब नहीं दिया गया था जिससे मजबूर होकर उन्होनें रिट याचिका दायर किया।

श्री जे0एफ0 टोप्पो, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान एस0सी0– VII ने निवेदन किया है कि रिट याचिका से स्पष्ट नहीं है कि 2013–14 के बाद उक्त भूमि का किराया किस कारण से स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर एक नया अभ्यावेदन दायर करता है, तो एक समय सीमा के भीतर कानून के अनुसार एक उचित निर्णय लिया जाएगा।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या–4 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर एक नए अभ्यावेदन दायर करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। इस तरह के अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रतिवादी संख्या–4, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उक्त अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर कानून के अनुसार एक उचित सूचित निर्णय लेगा।

वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार उपरोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)